राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

गैर आवासीय प्रशिक्षण व बैठक के दौरान नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने के लिए संस्थाओं का अभिकायन (Empanelment)

परिचय – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ एक स्वायत्ताशासी संगठन है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक–44) के अधीन पंजीकृत है। राज्य में मितानिन कार्यक्रम के संचालन के साथ–साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वांछित सेवायें – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को ऐसे सेवा प्रदाताओं (होटल/रेस्टोरेंट/कैटर्स) की तलाश हैं जो हमारी रायपुर कार्यालय में कार्यालयीन बैठकों एवं समस्त जिलों में गैर आवासीय प्रशिक्षण/बैठकों के लिए चाय + नाश्ता व भोजन व्यवस्था उपलब्ध हेतु स्थानीय निविदाकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रति बैच अनुमानित प्रतिभागी 50 से 60 हो सकते हैं। इस संबधं में हमारी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं :–

- **नाश्ता व्यवस्था :–** अ. पोहा+जलेबी
  ब. इड़ली/सांभरबड़ा
  स. आलू पराठा + सादा दही
  द. समोसा+जलेबी/कचौड़ी+जलेबी
- **भोजन व्यवस्था :–** 1. पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी दो सब्जी, (एक गीला व एक सूखा) अचार, पापड़, सलाद रायता, मिठाई
  2 वेज बिरयानी पार्सल/चिकन बिरयानी पार्सल/मटन बिरयानी पार्सल
  3. पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी, अंडा करी व एक सब्जी अचार,,पापड़,सलाद, रायता, मिठाई, इत्यादि।
- **चाय व्यवस्था :–** दो वक्त की चाय

नोट :- भोजन के समय बुफे लगाने के लिए टेबल एवं पानी की व्यवस्था सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना होगा

आवेदन प्रक्रिया – इच्छुक व्यक्ति/ संस्थाएं अपने आवेदन दिये गये निर्धारित संलग्न प्रारुप मे भरकर रु. 500 (रूपये पांच सौ मात्र) निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में नियत तिथि तक राशी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "STATE HEALTH RESOURCE CENTRE" Payable at Raipur के नाम पर देय होगी जो कि वापसी योग्य नहीं है।

चयन प्रक्रिया – सभी निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त दरों एवं दी जाने वाली सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम दर (L1) के निविदा का चयन किया जाएगा एवं अन्य निविदाकर्ताओं को (यदि इच्छुक हो तो) न्यूनतम दर के साथ मिलान करने का अवसर दिया जा सकता है। तत्पश्चात सभी निविदाकर्ताओं को उनके दर आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रथम L1 निविदाकर्ता को प्राथमिकता देते हुए कार्यादेश दिया जाएगा।

नियम व शर्तें–

1. समस्त निविदा प्रति, कय समिति, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र**,** बुढापारा बिजली ऑफिस चौक कालीबाड़ी, रायपुर के पते पर सीलबंद लिफाफे में दिनांक **15.03.2024** तक कार्यालयीन समय संध्या 05.30 तक जमा किया जाना होगा,एवं लिफाफे पर **"कोटेशन–गैर आवासीय प्रशिक्षण एवं बैठकों के लिए भोजन व्यवस्था"** लिखा जाना होगा।
2. राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर द्वारा दिये गये **कोटेशन प्रारुप** मे ही दर स्वीकार्य होगा।
3. प्रस्तावित दरें शासन द्वारा लागू सभी करों सहित होंगी ।
4. अनुबंध एक वर्ष तक होंगी।
5. निविदाकर्ता की वैध जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर एवं बैक पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. नाश्ता एवं भोजन पैकेट अथवा बफे–सिस्टम में उपलब्ध कराने संबंधी समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।
7. कार्य सम्पन्न होने पश्चात् बिल राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर के नाम पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. निविदाकर्ता जिन जिलों में अपनी सेवायें प्रदान करना चाहते है केवल उन्ही जिलों के लिए अपनी दरें प्रस्तुत, किन्तु प्रत्येक सेवाओं के लिये आवेदन फार्म के साथ निविदा शुल्क (500रु.) प्रति जिला प्रति सेवाएं अलग–अलग से देय होंगी।
9. एक निविदाकर्ता केवल एक ही जोन के जिलों के लिए ही आवेदन कर सकते है, एक ही निविदाकर्ता को दो जोन में एक साथ चयनित नहीं किया जाएगा। स्थानीय वेन्डर को प्राथमिकता दी जायेगी। जोन एवं जिलों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

State Health Resource Centre Chhattisgarh

क्रमांक	जोन	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	रायपुर	5	रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार– भाटापारा
2	दुर्ग	7	दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ, मानपुर–मोहला,चौंकी
3	बिलासपुर	8	बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, पेन्ड्रा–मरवाही, सारंगढ़–बिलाईगढ़, सक्ती
4	सरगुजा	6	कोरिया, सूरजपुर; बलरामपुर, जशपुर, अम्बिकापुर (सरगुजा), मनेन्द्रगढ़–चिरमीरी
5	बस्तर	7	कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा सुकमा

10. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और निविदा को निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।

11. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

State Health Resource Centre Chhattisgarh

वरिष्ठ समन्वयक (प्रशासनिक)
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द

भोजन व्यवस्था करने हेतु प्रारूप

बैठक एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था करने हेतु नाभिकायन (empanelment) के लिए आवेदन

प्रति, दिनांक..............................

क्रय समिति,
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र,
बिजली ऑफिस चौक के पास,
कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं आपकी संस्था द्वारा आयोजित बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए इच्छुक हूँ आपके द्वारा दिये गये प्रपत्र को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ा हैं एवं उनमें दी गई समस्त शर्ते मुझे मान्य हैं। जिसके लिये निर्धारित शुल्क राशि .... डी.डी. क. .... जमा कर रहा हूँ । उपरोक्त व्यवस्था हेतु मेरी समस्त कर सहित दरें एवं दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है।

नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु वित्तीय प्रस्ताव

कमांक	स्थान/जिला	व्यवस्था	विवरण	दर रु.(कर सहित)
1		नाश्ता	पोहा–जलेबी प्रति प्लेट / समोसा–जलेबी / कचौड़ी–जलेबी	
			इड़ली/सांभरबड़ा प्रति प्लेट	
			आलू पराठा (सादा दही के साथ) प्रति प्लेट	
2		भोजन (बफे सिस्टम)	पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी, दो सब्जी, (एक गीला व एक सूखा) अचार,पापड़, सलाद, रायता, मिठाई	
3		भोजन (पार्सल सिस्टम)		
4		वेज बिरियानी पार्सल	(हाफ प्लेट/फुल प्लेट)	
5		चिकन बिरियानी पार्सल	(हाफ प्लेट/फुल प्लेट)	
6		मटन बिरियानी पार्सल	(हाफ प्लेट/फुल प्लेट)	
7		चिकन करी पार्सल	(हाफ प्लेट/फुल प्लेट)	
8		मटन करी पार्सल	(हाफ प्लेट/फुल प्लेट)	
9		भोजन (बफे सिस्टम)	पतला चावल, दाल, रोटी/पूड़ी, अंडा करी, एक सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, रायता, मिठाई	
10		चाय व्यवस्था	दो वक्त	

नोटः– बैठक एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिनरल पानी की जार व्यवस्था सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील

प्रोपाइटर का नाम ....
पता..
....
मोबाइल नं..

संलग्न :–

1. भुगतान हेतु बैंक खाते कि जानकारी (अनिवार्य)
2. संस्था का GST No. (अनिवार्य)
3. संस्था के PAN कार्ड की छायाप्रति (अनिवार्य)

State Health Resource Centre Chhattisgarh